कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1736 /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 26 अप्रैल, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री राहुल देव एडवोकेट पुत्र स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र देव, 102/304 मोती बाजार देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्रों दिनांक 11 अप्रैल, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1736 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री राहुल देव एडवोकेट पुत्र स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र देव, 102/304 मोती बाजार देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK17054689311744P
Certificate Issued Date	:	11-Apr-2017 12:53 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1204904/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120490434193585225688P
Purchased by	:	RAHUL DEV
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	RAHUL DEV
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	RAHUL DEV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

ROHIT KUMAR
Stamp Vendor
Court Compound, Dehra Dun.

Please write or type below this line

164
Addl. CEO
21/04/2017

Addl-C.E.O

(राधा रतूड़ी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
13.4.2017

(अजय कुमार कौशल)
निजी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

S.O(R)/PIO
24/4/17
ACEO

PIO
25-4-2017

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सूचना का अधिकार अधि0 2005 के अन्तर्गत आवेदन

1. **नाम** – राहुल देव एडवोकेट

2. **पिता का नाम** – स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र देव

3. **पता** – 102/304 मोती बाजार देहरादून

4. **वांछित सूचना** – क. निर्वाचन पत्र बनाने का कैम्प स्थित सरस्वती शिशु मंदिर, मोती बाजार देहरादून मे बी0एल0ओ0/अधिकारी को पावती के द्वारा फार्म जमा किया गया, काउन्टर फाईल की प्रति संलग्न, मे निर्वाचन कार्ड को बनने मे लगने वाले समय का सम्पूर्ण दस्तावेजी विवरण।

ख. बिन्दू क मे दर्शित निर्वाचन कार्ड को बनने व प्रेषित किये जाने मे लापरवाही हेतु की जाने वाली कार्यवाही का सम्पूर्ण दस्तावेजी विवरण।

5. **सम्बन्धित विभाग का नाम** – श्रीमान लोक सूचना अधिकारी/
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन कार्यालय,
जिला देहरादून

6. **देय शुल्क** – मु0 10रूपये का ई स्टाम्प जिसकी सं0 IN-UK 17054689311744P

7. **गरीबी रेखा से नीचे** – लागू नही।

8. **आवेदन पत्र को भेजने की तिथि** – 11/04/2017

9. **आवेदक के हस्ताक्षर** –

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1741 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 26 अप्रैल, 2017

सेवा में,

श्री कपिल कुमार अग्रवाल, एडवोकेट,
जनकी नगर, कोटद्वार–246149
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01 में चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. बिन्दु संख्या–02 में चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रदेश स्तरीय राजनैतिक पार्टी के फोन नम्बर उपलब्ध नहीं है।
3. बिन्दु संख्या–03, 05 एवं 06 में चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संबंधित है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।
4. बिन्दु संख्या– 04 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–56 दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 में उत्तराखण्ड विकास पार्टी उपलब्ध नहीं है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1741 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवेदक को बिन्दु संख्या 03, 05 एवं 06 पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सारणी-1

राष्ट्रीय दल

क्रम सं.	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल कॉंग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल ।
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम राज्य को छोड़कर जहाँ इनके अभ्यार्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची से कोई एक प्रतीक चुनना पडेगा)	4, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली-110001.
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	बाल और हाँसिया	अजय भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
5.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट)	हथौड़ा, हाँसिया और सितारा	ए. के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग (गोल मार्किट), नई दिल्ली-110001.
6.	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011.
7.	नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी	घड़ी	10, बिशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001.

सारणी-II

राज्यीय दल

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	1. तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	मकान नं. 8-2-220/110/1/3, रोड नं. 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
		2. तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन0 टी0 आर0, भवन, रोड नं0-2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033, (आन्ध्र प्रदेश) ।
		3. युवजन श्रमिक रायथु कॉंग्रेस पार्टी	छत का पंखा	मकान नं. 8-2-269/एस/98, सागर सोसाईटी, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद- 34, आन्ध्र प्रदेश।

श्री अजय भट्ट
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी,
कार्यालय बलवीर रोड़, देहरादून।

श्री दिव्य नौटियाल
प्रदेश अध्यक्ष,
नेशनलिष्ट कांग्रेस पार्टी,
23, शान्तिकुन्ज लेन,1 नत्थनपुर जोगीवाला देहरादून।

श्री किशोर उपाध्याय
प्रदेश अध्यक्ष
इण्डियन नेशनल,कांग्रेस,
कांग्रेस भवन राजपुर रोड़, देहरादून।
फोन.न0 0135–2654000

श्री संदीप कुमार
प्रदेश अध्यक्ष
बहुजन समाज पार्टी,
शिवालिक नगर, S-501 रानीपुर मोड़,
हरिद्वार, फोन.न0 01334–231000

श्री आनन्द सिंह राणा
सचिव,
कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया,
4/5 केन्ट रोड़, हाथी बड़कला, देहरादून।
फोन.न0 0135–2742600

श्री आर.एस.नेगी
सचिव,
कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)
81– न्यू पार्क रोड़, देहरादून।

क0सं0	पार्टी का नाम व पता
1	भारत कौमी दल, ग्राम लाठरदेवा हूण, पोस्ट झबरेड़ाख जिला हरिद्वार
2	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल, बंसल गांव, पो0 ओ0–धेघाट, पट्टी–मल्ला, चौकौट, जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
3	भारतीय जनक्रांति पार्टी, 17/17, चक्खुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड
4	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, 77/129, भगत सिंह कॉलोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड
5	भारतीय शक्ति सेना, शक्ति सेना भवन, बैरियर नं0 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद, हरिद्वार, 249402, उत्तराखण्ड
6	भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी, एकता विहार, लेन नं0–1, ग्रामसभा आमवाला पल्ला, पो0 कंडोली, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
7	भारतीय सर्वोदय पार्टी, 152/126, पटेलनगर पश्चिम, देहरादून
8	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट, शाही निवास, चन्द्राबनी, पोस्ट–मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड
9	मैदानी क्रान्तिदल, मस्जिद वाली गली, माजरा देहरादून
10	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी, पित्थूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड
11	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी, 62, सिविल लाईन्स रूड़की, जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड
12	राष्ट्रीय जन सहाय दल, 112, न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड
13	राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी, 124/98, हरिद्वार रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड
14	सैनिक समाज पार्टी, 317, षिवा डिस्पोजल कॉम्पलेक्स, संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड़, चन्द्रभागा, आदर्ष ग्राम, ऋषिकेष, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड
15	सुराज सेवा दल, ग्राम रामड़ी जसुवा, पो0 फतेहपुर, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल
16	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, रोचिपुरा, पो0ओ0 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड
17	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक) 85/12–बी, नाष विला रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड
18	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी, साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला चमोली, उत्तराखण्ड
19	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा, मकान नं0 1, ग्राम–नौका (दौड़ावाला) पोस्ट–मोथरोंवाला, विकासखण्ड–रायपुर, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड
20	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी, 53–के, राजपुर रोड़ देहरादून, उत्तराखण्ड
21	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी, 13, सुभाष रोड़ (सेन्ट जोजफ स्कूल के पिछले गेट के सामने) देहरादून, उत्तराखण्ड

प्राप्त – 15/3/2017
क्र० सं० – 3

स्पीड–पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चुनाव अधिकारी
योजना भवन, प्रथम तल सचिवालय
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना चाहिए।

महोदय,

मुझे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा कीजियेगा जिसके लिये निर्धारित फीस दस रूपये के पोस्टल आर्डर सं0 24 G 215654 सलंग्न है।

बिन्दु संख्या– (1) यह कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के कार्यालय में कौन–कौन राष्ट्रीय व प्रदशे स्तरीय राजनैतिक व गैर राजनैतिक पार्टियां पंजीकृत हैं इसके नाम व पते की सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि में चाहिए।

(2) यह कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के यहां जो राजनैतिक प्रदेश स्तरीय व राष्ट्रीय तथा गैर राजनैतिक स्तरीय पार्टी पंजीकृत हैं उनके अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के नाम, पते व फोन नम्बर तथा कितनी अवधि तक पार्टी की वैधता है जिसकी सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि में चाहिए।

(3) यह कि बिना पंजीकृत राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर की राजनैतिक पार्टियां क्या कानून रूप से अस्तित्व में रह सकती है बिना पंजीकृत राजनैतिक पार्टियों के विरूद्ध क्या कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है इसकी सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि में चाहिए। — ECI

(4) यह कि उत्तराखण्ड विकास पार्टी जो अखबारों में विज्ञापन जारी कर रही है यह पार्टी निर्वाचन आयोग में पंजीकृत प्रदेश स्तर पर है कि राष्ट्रीय स्तर पर है अगर यह पार्टी पंजीकृत है तो उत्तराखण्ड विकास पार्टी के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के नाम, पते व फोन नम्बर तथा पार्टी की पंजीयन संख्या व वैधता की तारीख की सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि में चाहिए।

(5) यह कि प्रदेश स्तरीय राजनैतिक पार्टियां बनाने के लिए क्या–क्या परिपत्र की आवश्यकता होती है तथा क्या–क्या नियम पंजीकृत के लिए हैं तथा पंजीकृत पार्टी की चुनाव लड़ने की व अन्य क्या नियम हैं जिससे पंजीकृत पार्टी का अस्तित्व रह सके इसकी सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि में चाहिए।

श्री सेमवाल अनुभाग अधिकारी निर्वाचन उपलब्ध कराने हेतु — B.C. 29-3-17

(Kapil)
Kapil Kumar Agarwal
Advocate
Janki Nagar, Kotdwara

क्रमशः 2/–

6— यह कि राजनैतिक व गैर राजनैतिक पार्टी किस—किस नियम का पालन न करने पर पार्टी का पंजीयन निरस्त हो सकता है इसकी सम्पूर्ण सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि में चाहिए।

7— यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पता तथा फोन नम्बर की सूचना भी चाहिए।

अत: महोदय से निवेदन है कि बिन्दु संख्या 1 से 7 तक की सूचना शीघ्र दिलवाने की कृपा कीजियेगा।

भवदीय

Kapil

कपिल कुमार अग्रवाल
एडवोकेट, जानकी नगर,
कोटद्वार—246149
पोड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

Kapil Kumar Agarwal
Advocate
Janki Nagar, Kotdwara

दिनांक 09.03.2017

संलग्नक— 1— उपरोक्त पोस्टल आर्डर बीस रू॰ N. 24G 705654

2— अखबार में छपी
उत्तराखण्ड विकास पार्टी
का विज्ञापन की प्रति। (फोटो प्रति)

नये जिलों के लिए अधिकारी कर्मचारी कहाँ से टपकेंगे?

राज्य में तहसील एवं उपतहसील कुल मिला कर 122 हो गई हैं। मगर कई तहसीलें अभी तक खाली हैं। तहसीलदार के 106 पूर्व में जारी अधिसूचना को अवक्रमित करते हुए जिला जिला पुनर्गठन आयोग बना दिया। आयोग के निर्देश पर आयुक्त गढ़वाल ने जिलों के गठन के मानक निर्धारित किये। इन यह भी सोचनीय प्रश्न है।

एक बार फिर जिला निर्माण मात्र घोषणा बन अगली सरकार के गले में रस्सी डालने जैसा नजर आ रहा है।

Kapil
K... Kumar Agarwal
Advocate
J..ki Nagar, Kotdwara

ए.वी.एन. स्कूल में प्रशिक्षण शिविर लगा

आदर्श विद्या निकेतन कण्वघाटी हल्दूखाता में सी.बी.एस.सी. बोर्ड ने शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयेजन किया।

शिविर में कोटद्वार के सी.बी.एस. सी. पैटर्न पर संचालित विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सी.बी.एस.सी. से आये प्रशिक्षणकर्ता ने नये तरीके से छात्रों को पढ़ाने एवं आपसी संवाद बढ़ाने के तरीकों के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया व विभिन्न विधाओं के माध्यम से शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका बेहतर बनाने का उपाय सिखलाया।

पूरे प्रशिक्षण का संचालन ए.वी.एन. स्कूल के मैनेजर रजनीश शर्मा द्वारा किया गया।

समूण

ग्रामीण किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य देने एवं उनके उत्पादों को सही उपभोगताओं तक पहुँचाने के लिए अरण्य रंजन ने खाड़ी, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल में "समूण" के नाम से एक संस्था का गठन किया है। यह संस्था पहाड़ के किसानों से उचित मूल्य पर पहाड़ी दालें, कोदा, झंगोरा, हल्दी, मिर्च इत्यादि खरीद कर प्रवासी गढ़वालियों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है वहीं लोगों को भी सही मूल्य में वस्तुयें प्राप्त हो रही हैं।

संपादकीय

प्रदेश गठन के साथ हमें उत्तर प्रदेश से छह सौ करोड़ रुपये का कर्ज भी प्राप्त हुआ था। आज करीब बारह सौ करोड़ रुपये का राजस्व हमारे राज्य को शराब से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे में सालाना सौ करोड़ रुपये मय ब्याज देने पर भी सात आठ साल में ही इस कर्ज की अदायगी की जा सकती थी।

राज्य गठन के बाद से राजधानी तक की घोषणा नहीं हुई है। कोई और नया जिला नहीं बनाया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर

फूलों का स्वागत ठुकराया

डा. पार्थसारथी डबराल

फूलों का स्वागत ठुकराया,
पतझड को हँसना सिखलाया।
कुटिल परिस्थिति के छते पर,
उल्टे डंक लगा आया मैं।
देखे मैंने दुख हैं नाना,
तभी दुखित को है पहिचाना।
दुख, दुख से कुछ भिन्न नहीं है,

सहमति थी इसलिए झुका मैं।
किसका प्रेम प्राणाहर विष से!
डरे देवता तक भी जिससे,
अपने गले उसी हालाहल–
का आतंक लगा आया मैं।
फिर भी कला रहेगी जीवित
शीश मयंक लगा आया मैं।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1722/XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 24 अप्रैल, 2017

सेवा में,

श्री हरवान दास,
पछवादून, संयुक्त संघर्ष मोर्चा,
शाहपुर, कल्याणपुर, विकासनगर, देहरादून।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 3769 दिनांक 31 मार्च, 2017 के साथ संलग्न आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 28 मार्च, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01, 02 एवं 03 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधीत अधिनियम 2002 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2. बिन्दु संख्या–04 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का अन्तिम परिसीमन दिनांक 28 फरवरी, 2006 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S.Rawat
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

प्राप्त – 6/4/2017

पंजीकृत

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र
(शासनादेश संख्या 146/सु.के./XXXI(3)G –/2006 दिनांक 22–3–2006 के द्वारा प्रसारित)

कार्यालय का नाम व पता– सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर रिंग रोड मसूरी बाईपास देहरादून

पत्रांक संख्या 3769 /उ.सू.आ/सू.के./2016–17 दिनांक 31.03.2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून।

आयोग को प्राप्त श्री हरवान दास, पछवादून, संयुक्त संघर्ष मार्चा, शाहपुर, कल्याणपुर विकासनगर जिला देहरादून। द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनॉक 28/03/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उत्तराखण्ड सूचना आयोग को दिनॉक 30/03/2017 को प्राप्त हुआ, में मांगी गई सूचना का अनुरोध पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना आपके नियन्त्रणाधीन विभाग से सम्बन्धित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः : 1 सूचना का अनुरोध पत्र मूल रूप में 20 रू0 के नोट सहित।

2016/17

(मनमोहन नैथानी)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक लेखाधिकारी
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :– श्री हरवान दास, पछवादून, संयुक्त संघर्ष मार्चा, शाहपुर, कल्याणपुर विकासनगर जिला देहरादून मो0 नं–9758861299 को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनमोहन नैथानी)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक लेखाधिकारी
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

PIO
30/03

पछवादून संयुक्त संघर्ष मोर्चा, शाहपुर, कल्याणपुर

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
संख्या 3493
30 MAR 2017
देहरादून

हरबाज दास
अध्यक्ष
9758861299

सेवामें,

श्रीमान लोक सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचनायें उपलब्ध कराने हेतू।

1. उत्तराखण्ड राज्य में विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्परिसीमन अब किस वर्ष होगा?
2. पुनर्परिसीमन हेतु जनसंख्या या मतदाता संख्या या क्षेत्रफल आदि का आधार क्या होगा।
3. कथित रूप से कहा जा रहा है कि परिसीमन हर 10 वर्ष के पश्चात होता है। क्या यह सत्य हैं?
4. उत्तराखण्ड में 2012 में जो विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था न्याय पचायत धर्मावाला की एक ग्राम पचायत प्रतीतपुर व कल्याणपुर (बांसवाला) का लेखपाल क्षेत्र फतेहपूर बताया गया, इसी कारण इस पचायत को विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में रखा गया जबकी न्याय पचायत धर्मावाला की बाकी पचायतों को लेखपाल क्षेत्र धर्मावाला कथित रूप से बताकर सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में सम्मलित कर लिया गया। क्या यह सत्य है, अगर हाँ तो लेखपाल क्षेत्र धर्मावाला कब से हुआ, जानकारी दें।

दिनांक- 28-3-2017

प्रेषकः
हरबान दास
मो० 9758861299

20 RS मार्ड 57 P 205531
29 B 342147

परिसीमन अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 33)

[3जून, 2002]

लोक सभा में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों का प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परिसीमन अधिनियम, 2002 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ख) "सहयुक्त सदस्य" से धारा 5 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "निर्वाचन आयोग" से अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ; और

(च) "राज्य" के अंतर्गत ऐसा संघ राज्यक्षेत्र भी है जिसमें विधान सभा है, किन्तु इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है ।

3. परिसीमन आयोग का गठन—इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् केन्द्रीय सरकार यथाशक्यशीघ्र, परिसीमन आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे :—

(क) एक सदस्य, जो ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह आयोग का अध्यक्ष होगा ;

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निर्वाचन आयुक्त, पदेन :

परंतु इस खंड के अधीन किसी सदस्य के रूप में निर्वाचन आयुक्त का नामनिर्देशन करने के पश्चात् इस खंड के अधीन कोई और नामनिर्देशन, धारा 6 के अधीन ऐसे सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने के सिवाय, नहीं किया जाएगा ; और

(ग) संबद्ध राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन ।

[1][**स्पष्टीकरण**—खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए संबधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त से—

(i) (मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों से भिन्न) किसी राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में अनुच्छेद 243ट के खंड (1) के अधीन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है ; और

(ii) यथास्थिति, मेघालय राज्य या मिजोरम राज्य या नागालैंड राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में, ऐसे प्रयोजनों के लिए उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।]

4. आयोग के कर्तव्य—(1) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोक सभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आबंटन का और प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन समझा जाएगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 2 द्वारा (31-10-2003 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

THE DELIMITATION ACT, 2002
(33 OF 2002)

[3*rd June*, 2002.]

An Act to provide for the readjustment of the allocation of seats in the House of the People to the States, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State, the division of each State and each Union territory having a Legislative Assembly into territorial constituencies for elections to the House of the People and Legislative Assemblies of the States and Union territories and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Delimitation Act, 2002.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires, —

(*a*) "article" means an article of the Constitution;

(*b*) "associate member" means a member nominated under section 5;

(*c*) "Commission" means the Delimitation Commission constituted under section 3;

(*d*) "Election Commission" means the Election Commission referred to in article 324;

(*e*) "member" means a member of the Commission and includes the Chairperson; and

(*f*) "State" includes a Union territory having a Legislative Assembly but does not include the State of Jammu and Kashmir.

3. Constitution of Delimitation Commission.—As soon as may be after the commencement of this Act, the Central Government shall constitute a Commission to be called the Delimitation Commission which shall consist of three members as follows:—

(*a*) one member, who shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court, to be appointed by the Central Government who shall be the Chairperson of the Commission;

(*b*) the Chief Election Commissioner or an Election Commissioner nominated by the Chief Election Commissioner, *ex officio*:

Provided that after the nomination of an Election Commissioner as a member under this clause, no further nomination under this clause shall be made except to fill the casual vacancy of such member under section 6; and

(*c*) the State Election Commissioner of concerned State, *ex officio*.

[1][*Explanation.*—For the purposes of clause (*c*), the State Election Commissioner of concerned State, —

(*i*) in respect of the duties of the Commission relating to a State (other than the States of Meghalaya, Mizoram and Nagaland), means the State Election Commissioner appointed by the Governor of that State under clause (1) of article 243K; and

(*ii*) in respect of the duties of the Commission relating to the State of Meghalaya or the State of Mizoram or the State of Nagaland, as the case may be, means a person nominated by the Governor of that State under clause (1) for such purposes].

4. Duties of the Commission.—(*1*) The readjustment made, on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year 1971 by the Delimitation Commission constituted under section 3 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), of the allocation of seats in the House of the People to the several States and the total number of seats in the Legislative Assembly of each State shall be deemed to be the readjustment made by the Commission for the purposes of this Act.

---

1. Subs. by Act 3 of 2004, s. 2, for the *Explanation*.

(2) आयोग उपधारा (1) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करेगा :

परंतु जहां ऐसे पुनः समायोजन पर लोक सभा में किसी राज्य के लिए केवल एक स्थान आबंटित किया जाता है वहां उस राज्य से लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए संपूर्ण राज्य एक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

5. सहयुक्त सदस्य—(1) आयोग प्रत्येक राज्य के संबंध में अपने कार्यों में सहायता देने के प्रयोजन के लिए दस व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जिनमें से पांच व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे और पांच व्यक्ति उस राज्य की विधान सभा के सदस्य होंगे :

परंतु जहां किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या पांच या उससे कम है, वहां ऐसे सभी सदस्य उस राज्य के लिए सहयुक्त सदस्य होंगे और पश्चात्कथित दशा में, सहयुक्त सदस्यों की कुल संख्या दस से उतनी संख्या से कम होगी जितनी से उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या पांच से कम है ।

(2) प्रत्येक राज्य से इस प्रकार सहयुक्त होने वाले व्यक्तियों को, लोक सभा के सदस्यों की दशा में, उस सदन के अध्यक्ष द्वारा, और राज्य विधान सभा के सदस्यों की दशा में, उस विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन —

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से एक मास के अंदर विभिन्न विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा और दो मास के अंदर लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, किए जाएंगे ; और

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसूचित किए जाएंगे, और जहां नामनिर्देशन विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, वहां लोक सभा के अध्यक्ष को भी संसूचित किए जाएंगे ।

(4) सहयुक्त सदस्यों में से किसी को भी आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(5) आयोग को निम्नलिखित को बुलाने की शक्ति होगी—

(क) भारत का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त या उसका नामनिर्देशिती; या

(ख) भारत का महासर्वेक्षक या उसका नामनिर्देशिती ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी ; या

(घ) भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ ; या

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति,

जिसकी विशेषज्ञता और ज्ञान को आयोग द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा दी गई सहायता के अतिरिक्त सहायता देने के लिए आवश्यक समझा जाए तथा इस प्रकार बुलाए गए अधिकारी और व्यक्ति आयोग की सहायता करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे ।

(6) निर्वाचन आयोग का सचिव, आयोग का पदेन सचिव होगा और आयोग के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की सहायता से अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 द्वारा "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(*2*) Subject to the provisions of sub-section (*1*) and any other law for the time being in force, the Commission shall readjust the division of each State into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year [1][2001]:

Provided that where on such readjustment only one seat is allocated in the House of the People to a State, the whole of that State shall form one territorial constituency for the purpose of elections to the House of the People from that State.

5. Associate members.—(*1*) The Commission shall associate with itself for the purpose of assisting it in its duties in respect of each State, ten persons five of whom shall be members of the House of the People representing that State and five shall be members of the Legislative Assembly of that State:

Provided that where the number of members of the House of the People representing any State is five or less, then, all such members shall be the associate members for that State and in the latter case the total number of associate members shall be less than ten by such number as by which the total number of members of the House of the People representing that State is less than five.

(*2*) The persons to be so associated from each State shall be nominated, in the case of the members of the House of the People, by the Speaker of that House, and in the case of members of a Legislative Assembly, by the Speaker of that Assembly, having due regard to the composition of the House or, as the case may be, of the Assembly.

(*3*) The first nominations to be made under sub-section (*2*) —

(*a*) shall be made by the Speakers of the several Legislative Assemblies within one month, and by the Speaker of the House of the People within two months, of the commencement of this Act; and

(*b*) shall be communicated to the Chief Election Commissioner, and where the nominations are made by the Speaker of a Legislative Assembly, also to the Speaker of the House of the People.

(*4*) None of the associate members shall have a right to vote or to sign any decision of the Commission.

(*5*) The Commission shall have power to call upon—

(a) the Registrar-General and Census Commissioner, India or his nominee; or

(*b*) the Surveyor General of India or his nominee; or

(*c*) any other officer of the Central Government or State Government; or

(*d*) any expert in geographical information system; or

(*e*) any other person,

whose expertise and knowledge are considered necessary by the Commission to provide assistance to it in addition to the assistance provided by the persons referred to in sub-section (*1*) and the officers and persons so called upon shall be duty bound to assist the Commission.

(*6*) The Secretary to the Election Commission shall be the *ex officio* Secretary of the Commission and shall discharge his functions with the assistance of the employees of the Election Commission under the supervision of the Chairperson of the Commission.

1. Subs. by Act 3 of 2004, s. 3, for "1991" (w.e.f. 31-10-2003).

6. आकस्मिक रिक्तियां–यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति यथासाध्य शीघ्रता से यथास्थिति, धारा 3 या धारा 5 के उपबंधों के अधीन और अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा या संबद्ध अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

7. आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां–(1) आयोग, अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और अपने कृत्यों का पालन करने में उसे किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) साक्षियों को समन करने और उनको हाजिर कराने की ;

(ख) किसी दस्तावेज का पेश किया जाना अपेक्षित करने की ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करने की ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसी बातों या विषयों के बारे में, जो आयोग की राय में उसके विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हैं, जानकारी देने के लिए अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।

(3) आयोग, अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को, उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) और उपधारा (2) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उन शक्तियों में से किसी के प्रयोग में दिए गए आदेश या किए गए किसी कार्य के बारे में यह समझा जाएगा कि, यथास्थिति, वह आदेश या कार्य आयोग का है ।

(4) यदि सदस्यों की राय में मतभेद है तो बहुमत की राय मानी जाएगी और आयोग के कार्य और आदेश बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे ।

(5) इस बात के होते हुए भी कि, कोई सदस्य या सहयुक्त सदस्य अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, या आयोग या सहयुक्त सदस्यों के उस या किसी अन्य समूह में रिक्ति विद्यमान है, आयोग तथा सहयुक्त सदस्यों के किसी समूह को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और आयोग या किसी सहयुक्त सदस्यों के समूह का कोई कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति या ऐसी रिक्ति की विद्यमानता के आधार पर अविधिमान्य या प्रश्नगत नहीं होगी ।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनों के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।

8. स्थानों की संख्या का पुनः समायोजन–आयोग, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के उपबंधों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के सिवाय संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 3 और धारा 39 तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में, अनुच्छेद 239कक के खंड (2) के उपखंड (ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा–

(क) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित स्थानों की संख्या अवधारित करेगा और वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगी जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है ; और

(ख) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या अवधारित करेगा और वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगा जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है :

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 4 द्वारा (31-10-2003 से) '1991' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. Casual vacancies. —If the office of the Chairperson or of a member or of an associate member falls vacant owing to his death or resignation, it shall be filled as soon as may be practicable by the Central Government or the Speaker concerned under and in accordance with the provisions of section 3 or, as the case may be, of section 5.

7. Procedure and powers of the Commission. — (*1*) The Commission shall determine its own procedure and shall, in the performance of its functions, have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

(*a*) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(*b*) requiring the production of any document; and

(*c*) requisitioning any public record from any court or office.

(*2*) The Commission shall have power to require any person to furnish any information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, any matter under the consideration of the Commission.

(*3*) The Commission may authorise any of its members to exercise any of the powers conferred on it by clauses (*a*) to (*c*) of sub-section (*1*) and sub-section (*2*), and any order made or act done in exercise of any of those powers by the member authorised by the Commission in that behalf shall be deemed to be the order or act, as the case may be, of the Commission.

(*4*) If there is a difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail, and acts and orders of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority.

(*5*) The Commission as well as any group of associate members shall have power to act notwithstanding the temporary absence of a member or associate member or the existence of a vacancy in the Commission or in that or any other group of associate members; and no act or proceeding of the Commission or of any group of associate members shall be invalid or called in question on the ground merely of such temporary absence or of the existence of such vacancy.

(*6*) The Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

Explanation.—For the purposes of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Commission shall be the limits of the territory of India.

8. Readjustment of number of seats.—The Commission shall, having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332, and also, in relation to the Union territories, except National Capital Territory of Delhi, sections 3 and 39 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) and in relation to the National Capital Territory of Delhi sub-clause (*b*) of clause (*2*) of article 239AA, by order, determine,—

(*a*) on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year 1971 and subject to the provisions of section 4, the number of seats in the House of the People to be allocated to each State and determine on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year [1][2001] the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of the State; and

(*b*) on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year 1971 and subject to the provisions of section 4, the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of each State and determine on the basis of the census figures as ascertained at the census held in the year [1][2001] the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of the State:

1. Subs. by Act 3 of 2004, s. 4, for "1991".

परंतु खंड (ख) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या, खंड (क) के अधीन उस राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों की संख्या का पूर्णांकी गुणित होगा ।

9. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन–(1) आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों तथा 1971 की जनगणना के आधार पर यथा पुनः समायोजित प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों को इसमें नीचे उपबन्धित रीति से, एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में वितरित करेगा, तथा [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उनका परिसीमन संविधान के उपबंधों और धारा 8 में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात् :—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र यथासाध्य भौगोलिक रूप में संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखना होगा ;

(ख) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा कि वह संपूर्ण रूप से एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर आ जाएं ;

(ग) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाएगा और यथासाध्य उन्हें उन क्षेत्रों में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है ; और

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, यथासाध्य ऐसे क्षेत्र में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है ।

(2) आयोग—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को, किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की, विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में और ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा ;

(ख) ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हैं, और इस प्रकार विचार करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझता है, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें करेगा ; और

(घ) तत्पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा प्रत्येक राज्य के —

(i) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ; और

(ii) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन,

अवधारित करेगा ।

10. आदेशों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीख–(1) आयोग, धारा 8 या धारा 9 के अधीन किए गए अपने प्रत्येक आदेश को भारत के राजपत्र और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और साथ ही ऐसे आदेशों को कम से कम दो देशी भाषा के समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और रेडियो, टेलीविजन और जनता को उपलब्ध अन्य संभव मीडिया में प्रचारित करेगा और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी, अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र से संबंधित ऐसे आदेशों के राजपत्रित पाठ को सार्वजनिक सूचना के लिए अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 द्वारा (31-10-2003 से) '1991' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Provided that the total number of seats assigned to the Legislative Assembly of any State under clause (*b*) shall be an integral multiple of the number of seats in the House of the People allocated to that State under clause (*a*).

9. Delimitation of constituencies.— (*1*) The Commission shall, in the manner herein provided, then, distribute the seats in the House of the People allocated to each State and the seats assigned to the Legislative Assembly of each State as readjusted on the basis of 1971 census to single-member territorial constituencies and delimit them on the basis of the census figures as ascertained, at the census held in the year [1][2001], having regard to the provisions of the Constitution, the provisions of the Act specified in section 8 and the following provisions, namely:—

(*a*) all constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them regard shall be had to physical features, existing boundaries of administrative units, facilities of communication and public convenience;

(*b*) every assembly constituency shall be so delimited as to fall wholly within one parliamentary constituency;

(*c*) constituencies in which seats are reserved for the Scheduled Castes shall be distributed in different parts of the State and located, as far as practicable, in those areas where the proportion of their population to the total is comparatively large; and

(*d*) constituencies in which seats are reserved for the Scheduled Tribes shall, as far as practicable, be located in areas where the proportion of their population to the total is the largest.

(*2*) The Commission shall—

(*a*) publish its proposals for the delimitation of constituencies, together with the dissenting proposals, if any, of any associate member who desires publication thereof, in the Gazette of India and in the Official Gazettes of all the States concerned and also in such other manner as it thinks fit;

(*b*) specify a date on or after which the proposals shall be further considered by it;

(*c*) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, and for the purpose of such consideration, hold one or more public sittings at such place or places in each State as it thinks fit; and

(*d*) thereafter by one or more orders determine—

(*i*) the delimitation of parliamentary constituencies; and

(*ii*) the delimitation of assembly constituencies,

of each State.

10. Publication of orders and their date of operation.—(*1*) The Commission shall cause each of its orders made under section 8 or section 9 to be published in the Gazette of India and in the Official Gazettes of the States concerned and simultaneously cause such orders to be published at least in two vernacular newspapers and publicize on radio, television and other possible media available to the public and after such publication in the Official Gazettes of the States concerned, every District Election Officer shall cause to be affixed, the Gazette version of such orders relating to the area under his jurisdiction, on a conspicuous part of his office for public notice.

---

1. Subs by Act 3 of 2004, s. 3 for "1991" (w.e.f. 31-10-2003)

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर ऐसा प्रत्येक आदेश विधि का बल रखेगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, ऐसा प्रत्येक आदेश लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा में या किसी राज्य विधान सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन और ऐसे किसी आदेश में उपबंधित उन निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, उस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात्, होने वाले, यथास्थिति, उन लोक सभा या विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना में अंतर्विष्ट ऐसे प्रतिनिधित्व और परिसीमन, जहां तक कि ऐसा प्रतिनिधित्व और परिसीमन इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, से संबंधित उपबंधों को अतिष्ठित करते हुए उसी प्रकार लागू होंगे :

[1][परंतु इस उपधारा की कोई बात झारखंड राज्य के संबंध में प्रकाशित परिसीमन आदेशों को लागू नहीं होगी ।]

(5) इस धारा की कोई बात, यथास्थिति, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों या किसी राज्य के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में आयोग के, जो अंतिम आदेश होते हैं, उनके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को विद्यमान, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी, जब तक लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं होता है और ऐसी लोक सभा या विधान सभा की किसी रिक्ति की पूर्ति के लिए कोई उपनिर्वाचन उन विधियों और आदेशों के उपबंधों के, जिन्हें उपधारा (4) द्वारा अतिष्ठित किया गया है, आधार पर इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त उपबंधों को अतिष्ठित न किया गया हो ।

(6) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने प्रत्येक आदेश को उस उपधारा में उपबंधित रीति में, धारा 3 के अधीन [2][ऐसी अवधि के भीतर जो 31 जुलाई, 2008 के बाद की नहीं होगी] पूरा करने और उसे प्रकाशित करने का प्रयास करेगा ।

[3][**10क. कतिपय मामलों में परिसीमन का आस्थगन**—(1) धारा 4, धारा 8 और धारा 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत की एकता और अखंडता संकट में है या शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है, तो वह, आदेश द्वारा, किसी राज्य में परिसीमन कार्रवाई को आस्थगित कर सकेंगी ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

10ख. झारखंड राज्य की बाबत परिसीमन आयोग के आदेश का कोई विधिक प्रभाव न होना—धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, झारखंड राज्य की बाबत आदेश ओ.एन. 63(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2007 और ओ.एन. 110(अ), तारीख 17 अगस्त, 2007 द्वारा उक्त धारा के अधीन प्रकाशित स्थानों की संख्या के पुनः समायोजन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अंतिम आदेशों का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा और उक्त आदेशों के प्रकाशन से पूर्व यथाविद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के पश्चात् कराए गए, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में वर्ष 2026 तक प्रवृत्त बना रहेगा ।]

11. परिसीमन आदेशों को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—

(क) आयोग, धारा 9 के अधीन किए गए आदेशों में से किसी में मुद्रण संबंधी भूल या अनवधानता से हुई किसी भूल या लोप के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली किसी गलती को ठीक कर सकेगा ; और

(ख) जहां उक्त आदेशों में से किसी आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं या उसके नाम में कोई परिवर्तन किए जाते हैं वहां आदेशों को अद्यतन करने के लिए ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उसे आवश्यक या समचीन प्रतीत होते हैं, किंतु यह इस प्रकार करेगा कि किसी अधिसूचना से किसी निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं या क्षेत्रफल या विस्तार में परिवर्तन नहीं होगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, लोक सभा और संबद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

12. निरसन—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

---

[1] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

(*2*) Upon publication in the Gazette of India, every such order shall have the force of law and shall not be called in question in any court.

(*3*) As soon as may be after such publication, every such order shall be laid before the House of the People and the Legislative Assemblies of the States concerned.

(*4*) Subject to the provisions of sub-section (*5*), the readjustment of representation of the several territorial constituencies in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State and the delimitation of those constituencies provided for in any such order shall apply in relation to every election to the House or to the Assembly, as the case may be, held after the publication in the Gazette of India of that order and shall so apply in supersession of the provisions relating to such representation and delimitation contained in any other law for the time being in force or any order or notification issued under such law in so far as such representation and delimitation are inconsistent with the provisions of this Act.

[1][Provided that nothing in this sub-section shall apply to the delimitation orders published in relation to the state of Jharkhand]

(*5*) Nothing in this section shall affect the representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the House or of the Assembly, as the case may be, existing on the date of publication in the Gazette of India of the final order or orders of the Commission relating to the delimitation of parliamentary constituencies or, as the case may be, of the assembly constituencies of that State and any bye-election to fill any vacancy in such House or in any such Assembly shall be held on the basis of the provisions of the laws and orders superseded by sub-section (*4*) as if the said provisions had not been superseded.

(*6*) The Commission shall endeavour to complete and publish each of its orders referred to in sub-section (*1*) in the manner provided in that sub-section, [2][within a period not later than 31st day of July, 2008] under section 3.

[3][**10A. Deferment of delimitation in certain cases.** — (1) Notwithstanding anything contained in sections 4, 8 and 9, if the President is satisfied that a situation has arisen whereby the unity and integrity of India is threatened or there is a serious threat to the peace and public order, he may, by order, defer the delimitation exercise in a State.

(2) Every order made under this section shall be laid before each House of Parliament.

10B. Delimitation Commission's order with respect to the State of Jharkhand not to have any legal effect. — Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 10, the final orders relating to readjustment of number of seats and delimitation of constituencies in respect of the State of Jharkhand published under the said section vide Order O.N. 63(E), dated 30th April, 2007 and O.N. 110(E), dated 17th August, 2007 shall have no legal effect and the delimitation of the constituencies as it stood before the publication of the said Orders shall continue to be in force until the year 2026 in relation to every election to the House of the People or to the Legislative Assembly, as the case may be, held after the commencement of the Delimitation (Amendment) Act, 2008].

11. Power to maintain delimitation orders up-to-date.—(*1*) The Election Commission may, from time to time, by notification in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State concerned,—

(*a*) correct any printing mistake in any of the orders made by the Commission under section 9 or any error arising therein from an inadvertent slip or omission; and

(*b*) where the boundaries or name of any district or any territorial division mentioned in any of the said orders are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the orders up-to-date, so, however, that the boundaries or areas or extent of any constituency shall not be changed by any such notification.

(*2*) Every notification under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned.

12. Repeal. —The Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), is hereby repealed.

---

1. Ins. by Act 9 of 2008, s. 2.
2. Subs. by s. 2, *ibid.*
3. Ins by s. 3, *ibid.*

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1737/XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 26 अप्रैल, 2017

सेवा में,

Ashok S/O Shri Dhanpat,
C/O Shri Mai Lal, Advocate, Kila Cony,
Jhajjar-124103 (Haryana)

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01 एवं 03 में चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. बिन्दु संख्या–02, एवं 04 में चाही गयी सूचना समस्त लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तराखण्ड से संबंधित है जिसे जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।
3. बिन्दु संख्या– 05 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य से राज्य सभा की कुल 03 सीट है प्रति संलग्न प्रेषित है।
4. बिन्दु संख्या–06 में चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1737 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी, समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि आवेदक को बिन्दु संख्या 02 एवं 04 पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

From:

27.01.2017

Ashok S/o Shri Dhanpat,
C/O Shri Mai Lal, Advocate, Kila Cony,
Jhajjar-124103 (Haryana).

Subject: For supply of informations under Right to Information Act, 2005.

Sir,

I want to seek the following informations under the Right to Information Act. 2005, i.e.

1. How many Assembly seats are in your state? Supply details of each seat.

2. How many candidates filed the nomination in assembly seats in your state and who wins? Supply details of last two elections of each seat their names, caste, address, Telephone/Mobile No., Email id., Political Party to which they belong.

3. How many Parliament (Lok Sabha) seats are in your state? Supply details of each seat.

4. How many candidates filed the nomination in Parliament (Lok Sabha) seats in your state and who wins? Supply details of last two elections of each seat their names, caste, address, Telephone/Mobile No., Email id., Political Party to which they belong.

5. How many Parliament (Rajya Sabha) seats are in your state? Supply details of each seat.

6. How many candidates filed the nomination in Parliament (Rajya Sabha) seats in your state and who wins? Supply details of last two elections of each seat their names, caste, address, Telephone/Mobile No., Email id., Political Party to which they belong.

Being BPL family due to financial constraint I can not access the same on net. So please supply hard copies.

Being a member of below poverty line, there is no need of any fee as per RTI Act, 2005. A copy of the proof is enclosed.

So I request you to please supply the same within the time mentioned in RTI ACT. 2005. Thanking you.

Yours Faithfully,

अशोक

Ashok

(राधा रतूड़ी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
20·3·2017

PRINTED MATTER

The Central Public Information Officer,
O/o Chief Electoral Officer, Government of Uttrakhand,
Dehradun.

श्री सेमवाल
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उपलब्ध करायें
B
28-3-17

STATE BPL FAMILY

Signature of I.F.S.

हरियाणा सरकार

डी-3

राशन कार्ड

(केवल राशन वस्तुओं के लिए)

SAPNA

Present Post of I.F.S.

वितरण क्षेत्र का नाम .... 06|5|2016

राशन कार्ड संख्या 966392

Checked & Verified

Signature of A.F.S.O.

परिवार के मुखिया का नाम .... अशोक

माता/पिता का नाम .... [illegible]

पत्नी/पति का नाम ....

S. C. Sharma

A.F.&S.O.

एल.पी.जी. गैस उपभोक्ता नं. .... एक सिलेण्डर/दो सिलेण्डर

क्या आवेदक एवं परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या नहीं।

मकान नं. .... 256 .... वार्ड सैक्टर नं. 27

मोहल्ला/गली का नाम .... शांति नगर

स्थाई डाक पता ....

सदस्यों की संख्या	व्यस्क	बच्चे	शिशु	जोड़
4	3	1	—	4

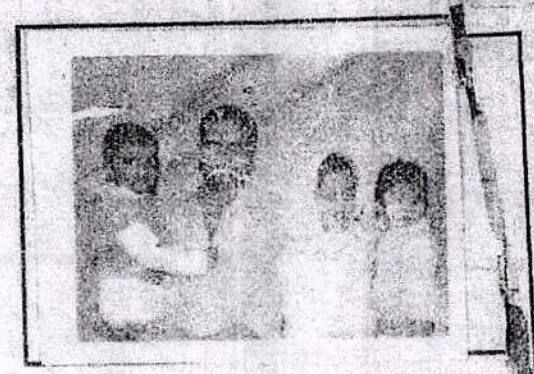

कार्ड धारक के हस्ताक्षर .... वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

तिथि .... तिथि ....

क्रम संख्या–189

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2006 ई0

पौष 07, 1928 शक सम्वत्

भारत परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्या 282/यू टी ए/2006

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उप धारा (1) के अनुसरण मे, उत्तरांचल राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के सबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाये गये निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :–

आदेश सं0 – 35

यतः, परिसीमन संशोधन अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के अनुसरण में भारत के राजपत्र और उत्तरांचल राज्य के राजपत्र के दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के असाधारण अंक में प्रकाशित, अपने दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के आदेश सं0 29 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) उत्तरांचल राज्य में लोक सभा के लिए आवंटित किये जाने वाले

कुल स्थानों की संख्या पॉच (5) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए एक(1) स्थान आरक्षित किया जाएगा और शून्य (0) स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाएगा तथा (ii) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या सत्तर (70) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए तेरह (13) स्थान आरक्षित किये जाएंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए दो (2) स्थान आरक्षित किये जाएंगे, और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसरण में परिसीमन आयोग ने राज्य के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के लिए राज्य के सह–सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया, और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया जिन्होनें 2001 की जनगणना के सम्बद्ध आकड़ों के आधार पर राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भारत सरकार के राजपत्र और उत्तरांचल राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में 4 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित करने तथा उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझावों को 18 सितम्बर, 2006 तक आमंत्रित करने की इच्छा प्रकट की, और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उक्त उप धारा (2) के अनुसरण में, आयोग के उपर्युक्त वर्णित आदेश सं0 29 और सह–सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों सहित परिसीमन आयोग के उक्त सन्दर्भित प्रारूप प्रस्ताव 4 सितम्बर, 2006 को स्थानीय समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित किया गया और रेडियो, टेलिविजन और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा इनका और ज्यादा प्रचार किया गया, और

यतः उस अधिनियम की धारा 9 की उक्त उप धारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 4 सितम्बर, 2006 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसमें सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के स्थान और तारीखें विनिर्दिष्ट की; और

यतः, उस अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (2) के अनुसरण में, आयोग ने, 9 अक्तूबर, 2006 को नैनीताल में, 12 अक्तूबर, 2006 को पौड़ी में और 13 अक्तूबर, 2006 को देहरादून, में सार्वजनिक बैठकें कराई और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को पहले ही भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ–साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो, करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया; और

यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में, उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने ऊपर लिखित आम बैठकों मे दिये गये तथा/अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया है ।

अतः अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा (4) की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसरण में परिसीमन आयोग एतद्द्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है :–

1. राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें उत्तरांचल राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'क' में दर्शाए अनुसार होगा ।

2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें उत्तरांचल राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'ख' में दर्शाये अनुसार होगा ।

3. सारणी 'क' या 'ख' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन–क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन–क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों "(अ0जा0)" द्वारा चिन्हित किया गया है ।

4. सारणी 'क' या 'ख' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन–क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन–क्षेत्र का अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों "(अ0ज0जा0)"द्वारा चिन्हित किया गया है ।

सारणी – क

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार

क्रम संख्या एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार
जिला – उत्तरकाशी	
1–पुरोला (अ0जा0)	1–मोरी तहसील; 2–पुरोला तहसील; 3–राजगढ़ी (बड़कोट) तहसील की 2–नौगांव, 3–बर्नीगाड़ कानूनगो सर्किलें, 4–राजगढ़ी कानूनगो सर्किल की 39–गडोली और 41–गैर (बनाल) पटवारी सर्किलें ।
2–यमुनोत्री	5–चिन्यालीसौड़ तहसील; 3–राजगढ़ी (बड़कोट) तहसील में 4–राजगढ़ी कानूनगो सर्किल की 40–गुलाड़ी, 42–राजगढ़ी, 43–चपटाड़ी, 44–गंगटाड़ी, 45–नगाणगांव पटवारी सर्किलें और 1–बड़कोट कानूनगो सर्किल; 4–डुण्डा तहसील में 1–डुण्डा कानूनगो सर्किल की 50–कल्याणी, 51–जिनेथ, 52–गेंवला (भंडार स्यूं), 53–खुरमोला, 54–जुणंगा पटवारी सर्किलें और बड़कोट अधिसूचित

	क्षेत्र।
3–गंगोत्री	6–भटवाड़ी तहसील; 4–डुण्डा तहसील में 1–डुण्डा कानूनगो सर्किल की 46–बड़ेथी, 47–मतली, 48–नाकुरी (बरसाली), 49–बीरपुर (डुण्डा) पटवारीी सर्किलें और 2–भटवाड़ी (धनारी) कानूनगो सर्किल ।
जिला – चमोली	
4–बद्रीनाथ	1–जोशीमठ तहसील; 2–चमोली तहसील का चमोली कानूनगो सर्किल, 2क–चमोली म्युनिसिपल बोर्ड और 3–पोखरी तहसील ।
5–थराली (अ0जा0)	5–थराली तहसील; 2–चमोली तहसील का नन्दप्रयाग कानूनगो सर्किल, नन्दप्रयाग नगरपंचायत और वन क्षेत्र ।
6–कर्णप्रयाग	4–कर्णप्रयाग तहसील और 6–गैरसैंण तहसील ।
जिला – रूद्रप्रयाग	
7–केदारनाथ	1–ऊखीमठ तहसील; 2–रूद्रप्रयाग तहसील का चोपता जाखणी कानूनगो सर्किल ।
8–रूद्रप्रयाग	2–रूद्रप्रयाग तहसील का रूद्रप्रयाग कानूनगो सर्किल, रूद्रप्रयाग नगरपालिका और जखोली तहसील ।
जिला – टिहरी गढ़वाल	
9–घनशाली (अ0जा0)	9–घनशाली तहसील का चमियाला कानूनगो सर्किल, डांगी कानूनगो सर्किल की 4–पौखाल, 5–पिलखी, 6–ठेला, 7–होल्टा, 8–मुयालगावं, 9–डांगी, 10–मैगाधार, 11–अखोड़ी, 12–धौणीखाल, 13–पाख, 14–कठूड़ हिन्दाव, 15–चांजी, 16–पंगरियाणा पटवारी सर्किलें और भिलंगना रेंज पी–3 ।
10–देवप्रयाग	2–देवप्रयाग तहसील की कीर्तिनगर, चन्द्रबदनी कानूनगो सर्किलें, देवप्रयाग एन.ए., देवप्रयाग कानूनगो सर्किल की 37–ललथपाटौ, 38–ललुड़ीखाल, 39–बिड़ाकोट, 40–हिन्डोलाखाल, 41–आमणी, 42–महड़, 43–भटकोट पटवारी सर्किलें और जखणीधार तहसील में जखणीधार कानूनगो सर्किल की 180–पौड़ीखाल, 181–गौमुख, 182–रौड़धार और 183–जगधार पटवारी सर्किलें ।
11–नरेन्द्रनगर	5–नरेन्द्रनगर तहसील; 2–देवप्रयाग तहसील में देवप्रयाग कानूनगो सर्किल की 34–कुर्न, 35–बॉठ, 36–बछेलीखाल, 44–भरपुर और 45–दनसाड़ा पटवारी सर्किलें ।
12–प्रतापनगर	3–प्रतापनगर तहसील; टिहरी तहसील में उदयपुर कानूनगो सर्किल की 106–भल्डियाणा, 107–कांडीखाल, 108–काफलपानी, 109–पाली, 110–सिरांई और 111–पडियारगांव पटवारी सर्किलें; घनसाली तहसील में डांगी कानूनगो सर्किल की 1–मन्दार, 2–देवताधार और 3–चन्द्रेश्वरसैण पटवारी सर्किलें ।
13–टिहरी	4–टिहरी तहसील का चम्बा कानूनगो सर्किल, टिहरी नगरपालिका और चम्बा एन.ए; 7–जाखणीधार तहसील में जाखणीधार कानूनगो सर्किल की 173–नन्दगाँव, 174–गड़ोलिया, 175–जाखणीधार कोटी, 176–नवाकोट, 177–खण्डोगी, 178–अंजनीसैण और 179–गाराकोट पटवारी सर्किलें ।
14–धनोल्टी	6–धनोल्टी तहसील; 4–टिहरी तहसील में उदयपुर कानूनगो सर्किल की 95–कटखेत, 96–लालुरी, 97–बयाड़गांव, 98–मैण्डखाल, 99–लवाणी, 100–कण्डारखाल, 101–छाम, 102–बंगियाल, 103–कैलार, 104–कमान्द, 105–थौलधार पटवारी सर्किलें और टिहरी रेंज।

जिला – देहरादून

15–चकराता (अ0ज0जा0)	1–चकराता तहसील, 5–कालसी तहसील और 6–त्यूनी तहसील ।
16–विकासनगर	2–विकासनगर तहसील का विकासनगर कानूनगो सर्किल में 1–बिन्हार पूर्व, 2–बिन्हार पश्चिम, 3–अम्बाडी, 4–पृथ्वीपुर, 5–एनफील्ड ग्रान्ट, 6–ढकरानी, 8–फतेहपुर, 9–वेस्ट होपटाऊन–2, 10–वेस्ट होपटाऊन–1, 11–केदारवाला, 12–रूद्रपुर पटवारी सर्किलें, 11–ए.बी.सी. विकासनगर नगरपालिका परिषद और नगरपंचायत हरवर्टपुर ।
17–सहसपुर	2–विकासनगर तहसील का झाजरा कानूनगो सर्किल, विकासनगर कानूनगो सर्किल की 7–धर्मावाला, 13–सोरना, 24–सहसपुर और 25–जस्सोवाला पटवारी सर्किलें; 3 देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल का 1–आरकेडियाग्रान्ट पटवारी सर्किल ।
18–धरमपुर	3–देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल की 2–सेवला कलां, 3–माजरा, 4–भारूवाला ग्रान्ट, 5–देहराखास, 6–अजबपुर कलां, 9–कांवली पटवारी सर्किलें, रायपुर कानूनगो सर्किल का क्लेमेन्ट टाऊन कैन्टोनमेन्ट, देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 6, 7, 9, 10, 23, 28, 42, 43, 45 और 53।
19–रायपुर	3–देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल का 7–अघोईवाला पटवारी सर्किल, रायपुर कानूनगो सर्किल की 20–गुजराड़ा मानसिंह, 21–डाण्डा लखौन्ड, 22–कन्डौली, 29–द्वारा, 30–रायपुर, 31–मियांवाला पटवारी सर्किलें, रायपुर (जनगणना शहर), देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 13, 15, 20, 26, 29, 35, 36, 44 और 46 ।
20–राजपुर रोड (अ0जा0)	3–देहरादून तहसील में देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 18, 21, 24, 30, 33, 34, 41, 48, 50, 52, 56 और 60।
21–देहरादून कैन्टोनमेन्ट	3–देहरादून तहसील में देहरादून (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) के वार्ड सं0 1, 2, 3 और एफ.आर.आई एवं कॉलेज एरिया, देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 11, 14, 17, 25, 31, 37, 40, 47, 49, 51, 54, 55, 58 और 59।
22–मसूरी	3–देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल की 8–करनपुर खास, 10–कौलागढ़, 11–जाखन, 12–गढ़ी, 13–रिखौली, 14–जोहडी, 15–क्यारकुलीभट्टा पटवारी सर्किलें और रायपुर कानूनगो सर्किल की 16–चासासारी, 17–सिल्ला, 18–सरोना, 19–चलांग पटवारी सर्किलें, मसूरी नगरपालिका परिषद्, देहरादून (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) के वार्ड सं0 4, 5, 6, 7 और देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 5, 19, 22, 27, 32, 38, 39, 57 और लन्ढौर कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ।
23–डोईवाला	3–देहरादून तहसील में रायपुर कानूनगो सर्किल की 23–बद्रीपुर, 24–दूधली, 25–नकरौन्दा, 26–बडासीग्रान्ट, 27–मारखमग्रान्ट–I, 28–मारखमग्रान्ट–II, 32–नत्थुवावाला पटवारी सर्किलें; 4–ऋषिकेश तहसील में ऋषिकेश कानूनगो सर्किल की 3–माजरीग्रान्ट, 5–भोगपुर, 6–गडूल, 7–सनगाँव, 8–बरकोटमॉफी, 9–रानीपोखरी ग्रान्ट, 10–रामनगर डाण्डा, 11–भनियावाला, 12–सिन्धवाल गाँव, 13–जोली ग्रान्ट पटवारी सर्किलें, डोईवाला नगर पंचायत, रामगढ़ रेंज और थानो फॉरेस्ट रेंज ।

24–ऋषिकेश	4–ऋषिकेश तहसील में ऋषिकेश कानूनगो सर्किल की 1–ऋषिकेश 2–छिद्दरवाला, 4–रायवाला पटवारी सर्किलें और वीरभद्र (आई.टी एस), प्रतीतनगर (जनगणना शहर)–वार्ड सं0 1 और ऋषिकेश नगरपालिका।
जिला – हरिद्वार	
25–हरिद्वार	2–हरिद्वार तहसील में हरिद्वार (म्युनिसिपल बोर्ड) के वार्ड सं0 1 से 20।
26–बी.एच.ई.एल. रानीपुर	2–हरिद्वार तहसील में बी.एच.ई.एल. रानीपुर एन.ए.सी., ज्वालापुर कानूनगो सर्किल की 02–अहमदपुर कडच, 03–ज्वालापुर, 04–बहादराबाद, 09–सलेमपुर महदूद–I, 10–सलेमपुर महदूद–II, 11–आन्नेकी हेत्तमपुर, 12–औरंगाबाद पटवारी सर्किलें और हरिद्वार (म्युनिसिपल बोर्ड) के वार्ड सं0 21 से 27, गुरूकुल कांगडी (ओ.जी.) –वार्ड सं0 28 और ज्वालापुर महाविद्यालय (ओ.जी.)–वार्ड सं0 29।
27–ज्वालापुर (अ0जा0)	2–हरिद्वार तहसील में ज्वालापुर कानूनगो सर्किल की 01–शेखुपुर उर्फ कनखल, 05–बोडाहेडीमोहीउद्दीनपुर, 06–अतमलपुर बोगंला, 07–रूहेलकी किशनपुर, 08–मीरपुर मवाजपुर, 13–गढ़,
	14–शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला, 15–कोटमुरादनगर, 16–सोहलपुर सिकरोडा, 17–डालूवाला, 18–सहदेवपुर सवाजपुर, 19–मुकरपुर, 20–अलावलपुर, 21–अहमदपुर ग्रान्ट और 22–दादूपुर गोविन्दपुर पटवारी सर्किलें; 1–रूड़की तहसील में भगवानपुर कानूनगो सर्किल की 01–बन्जारेवालाग्रन्ट, 02–नोकाराग्रन्ट, 03–दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, 04–फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, 05–औरंगजेबपुर, 06–खेड़ी शिकोहपुर, 07–खेरी शिकोहपुर जे0एम0, 08–सिकरोढा–I, 10–मजाहिदपुरसतीवाला और 11–इब्राहिमपुर मसाही पटवारी सर्किलें।
28–भगवानपुर (अ0जा0)	1–रूड़की तहसील में भगवानपुर कानूनगो सर्किल की 09–सिकरोढा–II, 12–हबीबपुर निवादा, 13–मानक मजरा, 14–जलालापुर डाडा, 15–हसनपुर मदनपुर, 16–छपरशेर अफगनपुर, 17–लतीफपुर खुब्बनपुर, 21–भगवानपुर, 22–हल्लूमजरा पटवारी सर्किलें, वन क्षेत्र, इकबालपुर कानूनगो सर्किल की 09–करोन्दी, 18–सिकन्दरपुर भैंसवाल, 19–सिरचन्दी, 20–खेलपुर नसरूलापुर, 24–रूहालकी दयालपुर, 25–कुन्जा बहादरपुर, 26–चुडियाला मोहनपुर, 27–भलस्वागाज, 28–बिन्दुखडक, 29–बहेडेकी सैदाबाद और 30–मानकपुर आदमपुर पटवारी सर्किलें ।
29–झबरेड़ा (अ0जा0)	1–रूड़की तहसील में इकबालपुर कानूनगो सर्किल की 01–डेलना, 02–हरजोलीझोझा, 03–तांसीपुर, 04–महमूदपुर, 05–पनियाला चन्दापुर, 06–इकबालपुर कमेलपुर, 07–माधोपुर हजरतपुर, 08–नन्हेरा अनन्तपुर, 10–सालियर साल्हापुर पटवारी सर्किलें, मंगलोर कानूनगो सर्किल की 15–लखनोता, 16–झबरेडी कलां, 17–शेरपुर खेलमऊ, 18–कोटवाल आलमपुर, 19–झबरेड़ा, 20–लथारदेवहुन, 21–थीथकी कवादपुर, 22–कुरडी, 23–उदलहेडी पटवारी सर्किलें और झबरेड़ा एन.ए.सी. ।

30–पिरनकलियार	1–रूड़की तहसील में रूड़की कानूनगो सर्किल की 11–गुमावाला, 12–इमलीखेडा धर्मपुर, 13–मोहम्मदपुर पण्डा, 14–रामपुर, 17–पिरनकलियार, 18–धनौरी, 19–दौलतपुर, 20–बढेडीराजपूतान, 21–भौंरी, 22–मरगूनपुर दीदाहेडी, 23–डन्ढेली खवाजगीपुर, 24–बेलड़ा पटवारी सर्किलें और भगवानपुर कानूनगो सर्किल का 23–दरियापुर दयालपुर पटवारी सर्किल ।
31–रूड़की	1–रूड़की तहसील में रूड़की कानूनगो सर्किल की 15–रूड़की 16–मलकपुर लतीफपुर, 27–बिझोली पटवारी सर्किलें, रूड़की कैन्टोनमेन्ट बोर्ड और रूड़की म्युनिसिपल बोर्ड ।
32–खानपुर	1–रूड़की तहसील में रूड़की कानूनगो सर्किल की 24ए–राजपुर मुस्तफाबाद उर्फ गाधोरोना, 25–लण्ढोरा, 26–शिकारपुर, 28–डन्ढेरा, 29–जोरासी, 25ए–टोडाकल्याणपुर पटवारी सर्किलें, डन्ढेरा जनगणना शहर, मोहनपुर मोहम्मदपुर जनगणना शहर, लन्दौरा एन.ए.सी. और 3–लकसर तहसील का खानपुर कानूनगो सर्किल ।
33–मंगलोर	1–रूड़की तहसील में मंगलोर कानूनगो सर्किल की 01–लिब्बरहेडी, 02–मंगलौर, 03–भगवानपुर चन्दनपुर, 04–बन्हेडाटण्डा, 05–मुडलाना, 06–हरजोलीजट, 07–कगवाली, 08–हरचन्दपुर, 09–मौहम्मदपुरजट, 10–खेडाजट, 11–कल्याणपुर उर्फ नारसन कलां, 12–नगलासलारू, 13–टिकोला कलां, 14–नकीबपुर उर्फ घोसीपुरा पटवारी सर्किलें और मंगलोर म्युनिसिपल बोर्ड ।
34–लक्सर	3–लक्सर तहसील का लक्सर कानूनगो सर्किल और लक्सर एन.ए.सी. ।
35–हरिद्वार ग्रामीण	2–हरिद्वार ग्रामीण तहसील का फेरूपुर रामखेड़ा कानूनगो सर्किल ।
जिला – गढ़वाल	
36–यमकेश्वर	7–यमकेश्वर तहसील; 5–लैन्सडौन तहसील का सिलोगी कानूनगो सर्किल, लैन्सडौन कानूनगो सर्किल की 41–लंगूरपल्ला–3, 42–लंगूरपल्ला–4, और 43–सीला–1 पटवारी सर्किलें; 6–कोटद्वार तहसील का पोखाल कानूनगो सर्किल, दोगड्डा कानूनगो सर्किल की 77–सीला–1, 78–सीला–2, 79–सीला–3, 80–सीला–4, 81–सीला–5, 82–लंगूरपल्ला–1, 83–लंगूरपल्ला–2, 84–लंगूरपल्ला–3 तथा 85–लंगुर पल्ला–4 पटवारी सर्किलें और दोगड्डा म्युनिसिपल बोर्ड ।
37–पौड़ी (अ0जा0)	2–पौड़ी तहसील की पौड़ी कानूनगो सर्किल, पौड़ी नगरपालिका, कोट, नाहसैण, मुण्डनेश्वर और अगरोड़ा कानूनगो सर्किलें; 1–श्रीनगर तहसील में श्रीनगर कानूनगो सर्किल की 232–रावतस्यूं, 233–बनगढ़स्यूं और 234–इडवालस्यूं–1 पटवारी सर्किलें।
38–श्रीनगर	1–श्रीनगर तहसील में श्रीनगर कानूनगो सर्किल की 229–कटूल स्यूं–1, 230–कटूलस्यूं–2, 231–कटूलस्यूं–3, 235–चलणस्यूं–1, 236–चलणस्यूं–2, 237–चलणस्यूं–3, 238–चलणस्यूं–4 पटवारी सर्किलें और श्रीनगर म्युनिसिपल बोर्ड; 3–थलीसैण तहसील की चाकीसैन और थलीसैण कानूनगो सर्किलें; 2–पौड़ी तहसील में (#) पाबौ कानूनगो सर्किल की 164–घुड़दौडस्यूं–1, 165–घुड़दौडस्यूं–2, 166–घुड़दौड़स्यूं–3, 169–बिडोलस्यूं, 170–बालीकन्डारस्यूं–1, 171–बालीकन्डारस्यं–2 172–बालीकन्डारस्यं–3 और

	173–बालीकन्डारस्यूं–4 पटवारी सर्किलें ।
39–चौबट्टाखाल	8–चौबट्टाखाल तहसील; 9–सतपुली तहसील और 3–थलीसैंण तहसील का बिरोंखाल कानूनगो सर्किल ।
40–लैन्सडौन	4–धुमाकोट तहसील; 5–लैन्सडौन तहसील में रिखणीखाल कानूनगो सर्किल, लैन्सडौन कानूनगो सर्किल की 38–कौड़िया–2 39–कौड़िया–3, 40–कौड़िया–4, 44–तल्ला बादलपुर–1, 45–तल्ला बादलपुर–2, 46–तल्ला बादलपुर–3 पटवारी सर्किलें और लैन्सडौन कैन्ट बोर्ड ।
41–कोटद्वार	6–कोटद्वार तहसील में दुगड्डा कानूनगो सर्किल की 73–सुखरौं, 74–स्नेह, 75–हल्दूखाता, 76–मोटाढ़ाक पटवारी सर्किलें और कोटद्वार म्युनिसिपल बोर्ड ।
(#) पाबौ कानूनगो सर्किल का शेष भाग चौबट्टाखाल तहसील में सम्मिलित	
जिला – पिथौरागढ़	
42–धारचूला	1–मुनस्यारी तहसील और 2–धारचूला तहसील ।
43–डीडीहाट	3–डीडीहाट तहसील की डीडीहाट, मुवानी, कनालीछिना और अस्कोट कानूनगो सर्किलें; 5–पिथौरागढ़ तहसील में सातशिलिंग कानूनगो सर्किल की 10–बीसाबजेड़, 11–टोटानौला, 13–खर्कदोली, 14–मड़मानले, 15–बन्दा पटवारी सर्किलें, मूनाकोट कानूनगो सर्किल की 17–मूनाकोट, 23–गौड़ीहाट, 24–माजिरकांडा, 25–दोली पटवारी सर्किलें, डीडीहाट नगरपंचायत और वन क्षेत्र ।
44–पिथौरागढ़	5–पिथौरागढ़ तहसील की पिथौरागढ़, गुरना कानूनगो सर्किलें, मूनाकोट कानूनगो सर्किल की 18–कोटली, 19–नाघर, 20–बद्री, 21–मड़सौन, 22–कुतैब पटवारी सर्किलें, सातशिलिंग कानूनगो सर्किल की 9–जीबी, 12–नैनी सैनी, 16–सटगल पटवारी सर्किलें और पिथौरागढ़ नगर परिषद्।
45–गंगोलीहाट (अ0जा0)	4–गंगोलीहाट तहसील; 3–बेरीनाग तहसील की बेरीनाग और थाल कानूनगो सर्किलें ।
जिला – बागेश्वर	
46–कापकोट	1–बागेश्वर तहसील में बागेश्वर कानूनगो सर्किल की 2–आरे, 8–खुनौली, 10–घिघारतोला, 11–चौरा, 14–तुपेड़, 20–विलखेत पटवारी सर्किलें; 2–कान्डा तहसील और कापकोट तहसील ।
47–बागेश्वर (अ0जा0)	1–गरूड़ तहसील; 2–बागेश्वर तहसील का काफलीगैर कानूनगो सर्किल, बागेश्वर कानूनगो सर्किल की 13–तल्ला कत्यूर, 15–डुग बागेश्वर, 21–रवाईखाल पटवारी सर्किलें और बागेश्वर म्युनिसिपल बोर्ड।
जिला – अल्मोड़ा	
48–द्वाराहाट	5–चौखुटिया तहसील और 7–द्वाराहाट तहसील ।
49–सल्ट	4–सल्ट तहसील; 1–भिकियासेन तहसील की 3–मनिला, 4–स्याल्दे कानूनगो सर्किलें और 1–भिकियासेन कानूनगो सर्किल का 9–रोटापानी पटवारी सर्किल ।

50–रानीखेत	1–भिकियासेन तहसील का 2–माचोर कानूनगो सर्किल, 1–भिकियासेन कानूनगो सर्किल की 1–भिकियासेन, 2–डोब, 3–बौली, 4–सिंगोली, 5–बतुला, 6–बिनौली, 7–सनारा और 8–बंगोरा पटवारी सर्किलें; 2–रानीखेत तहसील की 2–तारीखेत, 3–जलाली कानूनगो सकिलें, 1–रानीखेत कानूनगो सर्किल की 1–रानीखेत सदर, 2–पन्तकोटुली, 3–करचुली पटवारी सर्किलें और रानीखेत (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) ।
51–सोमेश्वर (अ0जा0)	6–सोमेश्वर तहसील; 2–रानीखेत तहसील में 1–रानीखेत कानूनगो सर्किल की 4–चौकुनी, 5–दुगौड़ा, 6–पाखुड़ा, 7–सूरी, 8–गड़श्यारी, 9–शहारौं, 10–कुनवाली, 11–नैणी, 12–रियूनी, 13–मल्ली रियूनी और 14–डीडा पटवारी सर्किलें; 3–अल्मोड़ा तहसील में 1–हवालबाग कानूनगो सर्किल की 3–दौलाघट, 4–खौड़ी, 5–गोबिन्दपुर, 6–काटारमल, 7–क्वैराली, 8–कठपुड़िया और 9–शीतलाखेत पटवारी सर्किलें ।
52–अल्मोड़ा	3–अल्मोड़ा तहसील का 2–अल्मोड़ा कानूनगो सर्किल, 3–पनुवानौला कानूनगो सर्किल की 1–लिंगुणता, 2–त्रिनैली, 3–न्योली, 4–पल्यों पटवारी सर्किलें, 1–हवालबाग कानूनगो सर्किल की 1–हवालबाग, 2–पाखुड़ा, 10–सैन्ज, 11–डोबा, 12–खुँट, 13–धामस, 14–ज्योली पटवारी सर्किलें, अल्मोड़ा म्युनिसिपल बोर्ड और अल्मोड़ा कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ।
53–जागेश्वर	8–जैंती तहसील; 9–भनोली तहसील; 3–अल्मोड़ा तहसील का 4–लमगढ़ा कानूनगो सर्किल और 3–पनुवानौला कानूनगो सर्किल का 5–तोली पटवारी सर्किल ।
जिला – चम्पावत	
54–लोहाघाट	3–पाटी तहसील; 4–लोहाघाट तहसील और 5–बाराकोट उप–तहसील ।
55–चम्पावत	1–चम्पावत तहसील और 2–श्री पुर्णागिरी तहसील ।
जिला – नैनीताल	
56–लालकुवां	6–लालकुवां तहसील; 5–हल्द्वानी तहसील का काठगोदाम कानूनगो सर्किल और लालकुवां कानूनगो सर्किल का 60–अर्जुनपुर पटवारी सर्किल ।
57–भीमताल	4–धारी तहसील; 3–नैनीताल तहसील का रामगढ़ कानूनगो सर्किल, भीमताल कानूनगो सर्किल की 26–चांफी, 27–पान्डेगॉव, 28–पूर्व छखाता, 29–रौसिल, 54–घिनरॉन पटवारी सर्किलें और भीमताल नगर पालिका ।
58–नैनीताल (अ0जा0)	1–बेतालघाट तहसील; 2–कोश्यां कुटोली तहसील; 3–नैनीताल तहसील में भीमताल कानूनगो सर्किल की 24–भवाली, 25–पश्चिम छखाता पटवारी सर्किलें, बगड़ कानूनगो सर्किल की 31–खुर्पाताल, 32–मंगोली, 33–बगड़, 34–स्यात, 35–तल्लाकोटा, 36–सौढ़, 37–अमगढ़ी पटवारी सर्किलें, वन क्षेत्र, नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड, नैनीताल कैन्टोनमेन्ट बोर्ड और भोवाली म्युनिसिपल बोर्ड ।

59–हल्द्वानी	5–हल्द्वानी तहसील में हल्द्वानी–एवं–काठगोदाम, (म्युनिसिपल बोर्ड + बाह्य विकास) के वार्ड सं0 1 से 25, दमुवाढूंगा बन्दोबस्ती (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 26, कोर्ता (चानमारी मोहल्ला) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 27, ब्युरा (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 28, बामोरी मल्ली (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 29, बामोरी तल्ली बन्दोबस्ती अमरावती कॉलोनी, शक्ति विहार, भट्ट कॉलोनी (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 30 और बामोरी तल्ली खान (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 31 ।
60–कालाढूँगी	7–कालाढूँगी तहसील; 3–नैनीताल तहसील में बगड़ कानूनगो सर्किल का 30–चौपड़ा पटवारी सर्किल; 5–हल्द्वानी तहसील में हल्द्वानी कानूनगो सर्किल की 63–हल्द्वानी खास, 66–लामाचौड़, 67–फतेहपुर, 68–भगवानपुर, 69–कामुलुवागान्जा, 71–लोहारियाशाल, 73–देवालचौर, 74–कुसुमखेड़ा पटवारी सर्किलें, लालकुवां कानूनगो सर्किल की 70–चान्दनीचौक, 75–आनन्दपुर पटवारी सर्किलें, हल्द्वानी एवं काठगोदाम (म्युनिसिपल बोर्ड + बाह्य विकास) के मुखानी (रूपनगर, बसन्त विहार कॉलोनी तथा वकीलों का जजस फार्म) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 32, मानपुर उत्तर (पालिका यातायात नगर) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 33 हरीपर सखा (दैन कैन्सर
	अस्पताल) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 34, हल्द्वानी तल्ली (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 35, गोजाजाल्ली उत्तर (शिशु भारतीय विद्या मन्दिर) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 36, कुसुम खेरा (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 37, बिठौरिया नं0–1 (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 38 और वन क्षेत्र ।
61–रामनगर	8–रामनगर तहसील ।
जिला – उधमसिंह नगर	
62–जसपुर	5–जसपुर तहसील; 4–काशीपुर तहसील का 1–कुण्डा कानूनगो सर्किल।
63–काशीपुर	4–काशीपुर तहसील में 2–पैंगा कानूनगो सर्किल की 3–पैंगा, 6–खोखराताल, 7–बांसखेड़ा, 8–बसई पटवारी सर्किलें, 3–काशीपुर कानूनगो सर्किल की 10–महेशपुरा, 11–धनौरी पट्टी, 12–गोपीपुरा, 13–गंगापुर गुसांई, 14–मानपुर पटवारी सर्किलें, काशीपुर म्युनिसिपल बोर्ड और रामनगर वन क्षेत्र ।
64–बाजपुर (अ0जा0)	4–काशीपुर तहसील में 2–पैंगा कानूनगो सर्किल की 2–रजपुरानी रानी, 4–बरखेड़ा पाण्डे, 5–दभौरा पटवारी सर्किलें, 3–काशीपुर कानूनगो सर्किल की 9–ढकियाकलां, 15–प्रतापपुर, 16–कुन्डेश्वरी पटवारी सर्किलें और महुवाखेड़ागंज टी.ए.सी.; 6–बाजपुर तहसील में 1–बाजपुर–I कानूनगो सर्किल की 3–महोली जंगल, 4–हजीरा, 5–बरहैनी, 6–हरीपुरा, 7–बैरिया दौलत, 8–भजुवानगला पटवारी सर्किलें, 2–बाजपुर–II कानूनगो सर्किल की 12–गुलजारपुर, 13–रम्पुराशाकर, 14–सुल्तानपुर, 15–फरीदपुर, 16–विक्रमपुर, 17–जोगीपुरा, 18–बिराहा, 20–महेशपुरा, 21–खुशालपुर, 22–रतनपुर, 23–बंतखेड़ी पटवारी सर्किलें, क–म्युनिसिपल बोर्ड बाजपुर, सुल्तानपुर टी.ए.सी. और बन्ना खेड़ा वन क्षेत्र ।

65–गदरपुर	6–बाजपुर तहसील मे 1–बाजपुर–I कानूनगो सर्किल की 1–केलाखेड़ा, 2–चकरपुर, 9–बरवाला, 10–गणेशपुर, 11–बद्रीपुर पटवारी सर्किलें, 2–बाजपुर–II कानूनगो सर्किल का 19–मुड़ियाकलां पटवारी सर्किल और ग–टी.ए.सी. केलाखेड़ा; 7–गदरपुर तहसील का 1–गदरपुर कानूनगो सर्किल, 2–दिनेशपुर कानूनगो सर्किल की 8–कुल्हा, 9–धनपुर विजयपुर, 13–विजयनगर पटवारी सर्किलें, पीपल पड़ाव वन क्षेत्र, दिनेशपुर टी.ए.सी. और गदरपुर म्युनिसिपल बोर्ड ।
66–रूद्रपुर	7–गदरपुर तहसील में 2–दिनेशपुर कानूनगो सर्किल की 10–बरीराई, 11–मेहतोष, 12–चन्दायन और 14–अमरपुर पटवारी सर्किलें; 3–किच्छा तहसील में 2–रूद्रपुर कानूनगो सर्किल की 20–रम्पुरा,
	22–दानपुर, 23–मटकोटा, 24–कल्याणपुर पटवारी सर्किलें, टांडा वन क्षेत्र और रूद्रपुर म्युनिसिपल बोर्ड ।
67–किच्छा	3–किच्छा तहसील में 1–किच्छा कानूनगो सर्किल की 4–नजीमाबाद, 5–भंगा, 6–सिरोलीकलां, 7–किच्छा, 8–इन्द्रपुर, 10–जवाहरनगर, 11–नगला पटवारी सर्किलें, डौली वन क्षेत्र, 2–रूद्रपुर कानूनगो सर्किल की 12–छिनकी, 13–दरऊ, 14–कुरैय्या, 15–चुकटी, 16–भमरौला, 17–शिमला पिस्तौर, 18–कनकपुर, 19–देवरिया, 21–फूलबाग पटवारी सर्किलें और किच्छा म्युनिसिपल बोर्ड ।
68–सितारगंज	2–सितारगंज तहसील में 1–सितारगंज कानूनगो सर्किल की 1–कुंवरपुर, 2–तिलियापुर, 3–नकहा, 4–नकुलिया, 5–पिन्डरी, 6–बरूवाबाग, 9–रम्पुरा, 10–रूदपुर, 11–नकटपुरा, 12–सरकड़ा, 13–सितारगंज पटवारी सर्किलें, सितारगंज म्युनिसिपल बोर्ड और शक्तिगढ़ टी.ए.सी.; 3–किच्छा तहसील में 1–किच्छा कानूनगो सर्किल की 1–फिरोजपुर, 2–बरा, 3–शहदौरा और 9–कोटखर्रा पटवारी सर्किलें।
69–नानकमत्ता (अ0ज0जा0)	2–सितारगंज तहसील का 2–नानकमत्ता कानूनगो सर्किल, 1–सितारगंज कानूनगो सर्किल की 7–बिजटी, 8–मैनाझुन्डी पटवारी सर्किलें, बराखोली फौरेस्ट रैन्ज और रैखाल फौरेस्ट रैन्ज; 1–खटीमा तहसील में 1–खटीमा कानूनगो सर्किल की 1–उमरूखुर्द, 3–गुरखेड़ा, 4–झनकट, 5–पहेनिया, 7–नौगवांठगू, 8–मुण्डेली और 10–फुलैया पटवारी सर्किलें ।
70–खटीमा	1–खटीमा तहसील में 1–खटीमा कानूनगो सर्किल की 2–सरपुरा, 6–जरासु परतापुर, 9–बड़ी अंजनियां, 11–सिसैया, 12–मझोला, 13–नगला तराई, 14–जादोपुर, 15–हल्दी, 16–सुनपहर पटवारी सर्किलें, क–म्युनिसिपल बोर्ड–खटीमा, झनकइया फौरेस्ट रैन्ज, 2–महोप फौरेस्ट रैन्ज, 2–बिगराबाग कानूनगो सर्किल, दोगाड़ी फौरेस्ट रैन्ज, खटीमा फौरेस्ट रैन्ज, किलपुरा फौरेस्ट रैन्ज और लोहिया हैड फौरेस्ट रैन्ज ।

सारणी–ख

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रम संख्या	विस्तार
1–टिहरी गढ़वाल	1–पुरोला (अ0जा0), 2–यमुनोत्री, 3–गंगोत्री, 9–घनशाली (अ0जा0), 12–प्रतापनगर, 13–टिहरी, 14–धनोल्टी, 15–चकराता (अ0ज0जा0), 16–विकासनगर, 17–सहसपुर, 19–रायपुर, 20–राजपुर रोड (अ0जा0),
	21–देहरादून कैंट और 22–मसूरी ।
2–गढ़वाल	4–बद्रीनाथ, 5–थराली (अ0जा0), 6–कर्णप्रयाग, 7–केदारनाथ, 8–रूद्रप्रयाग, 10–देवप्रयाग, 11–नरेन्द्रनगर, 36–यमकेश्वर, 37–पौड़ी (अ0जा0), 38–श्रीनगर, 39–चौबट्टाखाल, 40–लैन्सडौन, 41–व. द्वार और 61–रामनगर ।
3–अल्मोड़ा (अ0जा0)	42–धारचूला, 43–डीडीहाट, 44–पिथौरागढ़, 45–गंगोलीहाट (अ0जा0), 46–कापकोट, 47–बागेश्वर (अ0जा0), 48–द्वाराहाट, 49–सल्ट, 50–रानीखेत, 51–सोमेश्वर (अ0जा0), 52–अल्मोड़ा, 53–जागेश्वर, 54–लोहाघाट और 55–चम्पावत ।
4–नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	56–लालकुवां, 57–भीमताल, 58–नैनीताल (अ0जा0), 59–हल्द्वानी, 60–कालाढूँगी, 62–जसपुर, 63–काशीपुर, 64–बाजपुर (अ0जा0), 65–गदरपुर, 66–रूद्रपुर, 67–किच्छा, 68–सितारगंज, 69–नानकमत्ता (अ0ज0जा0) और 70–खटीमा ।
5–हरिद्वार	18–धरमपुर, 23–डोईवाला, 24–ऋषिकेश, 25–हरिद्वार, 26–बी.एच.ई.एल. रानीपुर, 27–ज्वालापुर (अ0जा0), 28–भगवानपुर (अ0जा0), 29–झबरेड़ा (अ0जा0), 30–पिरनकलियार, 31–रूड़की, 32–खानपुर, 33–मंगलोर, 34–लक्सर और 35–हरिद्वार ग्रामीण ।

नोट : इस सारणी – क में किसी जिला, तहसील, कानूनगो सर्किल, पटवारी सर्किल, नगर पालिका तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के लिए किसी सदर्भ का मतलब उस जिला, तहसील, कानूनगो सर्किल, पटवारी सर्किल, नगर पालिका तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के अन्तर्गत फरवरी मास के 15 (पन्द्रहवें) दिन, 2004 को सम्मिलित क्षेत्र माने जाएंगे।

ह0/–
आर. के. वर्मा
सदस्य

ह0/–
एन. गोपालास्वामी
सदस्य

ह0/–
कुलदीप सिंह
अध्यक्ष

आदेश से,

शंगारा राम,
सचिव।

DELIMITATION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi--110 001

No. 282/UTA/2006
New Delhi, Dated December 28, 2006

NOTIFICATION

In pursuance of sub-section (1) of Section 10 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the following Order made by the Delimitation Commission under sub-section (2) of Section 9 read with sub-section (2) of Section 4 of the Act, in respect of the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Uttaranchal is hereby published.

ORDER NO - 35

WHEREAS, in pursuance of Sections 8 and 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003(3 of 2004), the Delimitation Commission has, by its Order No. 29 dated 4th September, 2006, published in the extraordinary issue of the Gazette of India and the Uttaranchal State Gazette on 4th September, 2006, determined - (i) the total number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Uttaranchal as Five (5) of which, one (1) seat shall be reserved for the Scheduled Castes and Zero (0) seat shall be reserved for the Scheduled Tribes, and (ii) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as seventy (70) of which, thirteen (13) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and two (2) seat for the Scheduled Tribes; and

WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of Section 5, read with sub section (1) of Section 9 of the said Act, the Delimitation Commission associated with itself the Associate Members from the State with the proceedings for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State; and

WHEREAS, in pursuance of sub-section (2) of Section 9 of the said Act, the Delimitation Commission published its proposals, along with the dissenting proposals of the Associate Members of the Commission who desired publication thereof, for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State on the basis of the relevant published figures of 2001 Census, in the extraordinary issue of the Gazette of India and in the Uttaranchal State Gazette on 4th September, 2006, for inviting objections and suggestions in relation to the aforesaid proposals by 18th September, 2006; and

WHEREAS, in pursuance of the said sub-section (2) of Section 9 of that Act, the Commission's Order No.29 mentioned above and the above referred draft proposals of the Commission along with the dissenting proposals of the Associate Members were also published in the local newspapers on 4th September, 2006 and given further publicity through radio and television and other media of mass communication; and

WHEREAS, in pursuance of the said sub-section (2) of Section (9) of that Act, the Commission also issued a public notice on 4th September, 2006 specifying the places and dates of its public sittings to consider all objections and suggestions; and

WHEREAS, in pursuance of the said sub-section (2) of Section 9 of that Act, the Commission held public sittings on 9th October, 2006 at Nainital, on 12th October, 2006 at Pauri & on 13th October, 2006 at Dehradun and heard the members of the public and afforded them full opportunity of making oral and written submissions, in addition to the written representations already sent, if any, to the Commission; and

WHEREAS, the Commission has considered all objections and suggestions made at the aforesaid public sittings and/or received by it otherwise, in relation to its said proposals, in the light of the relevant provisions of the Constitution and the said Act;

[1][चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2)]

राज्य सभा में स्थानों का आबंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं।

सारणी

1. आंध्र प्रदेश	18
2. असम	7
3. बिहार	[2][16]
[3][4. झारखंड	6]
[4][[5][5. गोवा	1]
[6][[5][6.] गुजरात	11]
[7][[5][7.] हरियाणा	5]
[5][8.] केरल	9
[5][9.] मध्य प्रदेश	[8][11]
[9][[5][10.] छत्तीसगढ़	5]
[10][[5][11.] तमिलनाडु]	[11][18]
[12][[5][12.] महाराष्ट्र	19]
[13][[5][13.] कर्नाटक]	12
[5][14.] [14][ओडिशा]	10
[5][15.] पंजाब	[15][7]
[5][16.] राजस्थान	10
[5][17.] उत्तर प्रदेश	[16][31]
[17][[5][18. [18][उत्तराखंड]	3]
[5][19.] पश्चिमी बंगाल	16
[5][20.] जम्मू-कश्मीर	4
[19][[5][21.] नागालैंड	1]
[20][[5][22.] हिमाचल प्रदेश	3]
[5][23.] मणिपुर	1
[5][24.] त्रिपुरा	1
[5][25.] मेघालय	1
[21][[5][26.] सिक्किम	1]
[22][[5][27.] मिजोरम	1]
[23][[5][28.] अरूणाचल प्रदेश	1]
[5][29.] दिल्ली	3
[5][30.] [24][पुडुचेरी]	1
योग :-	[25][233]]

---

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) "22" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) अंतःस्थापित।
4. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित।
5. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
6. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित।
8. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) "16" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) अंतःस्थापित।
10. मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) "11" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्य (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 8 द्वारा (1-4-1960 से) "17" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
12. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित।
13. मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) "13. मैसूर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
14. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 का 15) की धारा 7 द्वारा (1-11-2011 से) प्रतिस्थापित।
15. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) "11" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
16. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) "34" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
17. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित।
18. उत्तरांचल (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) की धारा 5 द्वारा (1-1-2007 से) "उत्तरांचल" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
19. नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 6 द्वारा (1-12-1963 से) अंतःस्थापित।
20. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 5 द्वारा (25-1-1971 से) अंतःस्थापित।
21. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (26-4-1975 से) अंतःस्थापित।
22. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।
23. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।
24. पांडिचेरी (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 6 द्वारा (1-10-2006 से) "पांडिचेरी" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
25. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-05-1987 से) "232" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

बि-दु - 6

फार्म 7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखें]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	सम्बद्ध दल
(1)	(2)	(3)	(4)
(I) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थीः-			
1	प्रदीप टम्टा	ग्राम व पोस्ट लोब, थाना- झिरोली, तहसील-काफली गैर, जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड	इण्डियन नेशनल कॉग्रेस
(II) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों को छोड़कर):- शून्य			
(III) अन्य अभ्यर्थीः-			
2	अनिल गोयल	14/1, न्यू रोड देहरादून, उत्तराखण्ड।	निर्दलीय
3	गीता ठाकुर	152/ए/2, राजपुर रोड जाखन, देहरादून, उत्तराखण्ड।	निर्दलीय

स्थानः देहरादून
तारीखः 3 जून, 2016

ह./
रिटर्निंग ऑफिसर

आदेश से,

संजीव कुमार 7-6-16

(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

वि.नं. स.6

प्ररूप 23

(नियम 84 (1) (क) देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2016

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री प्रदीप टम्टा, ग्राम व पोस्ट लोब, इण्डियन नेशनल कांग्रेस, थाना- झिरोली, तहसील- काफलीगैर, जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड जो **इण्डियन नेशनल कांगेस** द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में **एक** सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 04 जुलाई, 2016 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : विधान सभा भवन, देहरादून।
दिनांक : 11 जून, 2016

ह0/-
(जगदीश चन्द्र)
सचिव एवं रिटर्निंग आफिसर।

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(पटल कार्यालय)

संख्या : 603/वि0स0/177/पटल/2016 देहरादून, दिनांकः 11 जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- वरिष्ठ प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
2- सचिव, भारत सरकार, विधि, न्याय एवं कम्पनी सम्बन्धी मंत्रालय (विधायी विभाग), नई दिल्ली,
3- महासचिव, राज्य सभा सचिवालय कमरा सं0-33 टेबल आफिस, संसद भवन, नई दिल्ली,
4- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून,
5- निर्वाचित अभ्यर्थी,
6- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून,
7- निदेशक, आकाशवाणी, देहरादून,
8- निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून,
9- सूचना अधिकारी, पी0आई0बी0, नई दिल्ली,
10- प्रभारी, समाचार एकांश आकाशवाणी, देहरादून को इस निवेदन के साथ की उक्त सूचना को तुरन्त अगले समाचारों में प्रसारित करने की कृपा करें।

11/6/16

(जगदीश चन्द्र)
सचिव एवं रिटर्निंग आफिसर

RETURNING OFFICER * BY ELECTED MLA'S, UTTARAKHAND

[प्ररूप-4

(नियम-8 देखिए)

विधिमान्यतः नाम-निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

उत्तराखण्ड से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक उप निर्वाचन-2015

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	दलीय सहबद्धता
1	2	3	4	5
01.	श्री राज बब्बर	स्व0 श्री कुशल बब्बर	मकान नं0 94 एलोरा एन्कलेव, दयाल बाग, थाना न्यू आगरा, जिला आगरा, उ0प्र0	इण्डियन नेशनल कांग्रेस

(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)

(iii) अन्य अभ्यर्थी

स्थान : विधान सभा भवन, देहरादून

तारीख : 11 मार्च, 2015

रिटर्निंग आफिसर]

RETURNING OFFICER CS ELECTION BY ELECTED MLA'S, UTARAKHAND

[प्ररूप 23 ख]
[नियम 84(1) (ख) देखिए]
निर्वाचन की विवरणी

विविध

विधान सभा के सदस्यों/ उत्तराखण्ड निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक उप निर्वाचन।

मतदान और मतों के अन्तरण का परिणाम निम्नलिखित है :- **निर्विरोध निर्वाचित**

विधिमान्य मतों की संख्या: आवश्यकता नहीं।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या: 01 (एक)

कोटा (अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मतों की संख्या): आवश्यकता नहीं।

अभ्यर्थियों के नाम	प्रथम गणना	द्वितीय गणना	तृतीय गणना	चतुर्थ गणना	निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन क्रम
श्री राज बब्बर	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं	श्री राज बब्बर
	हर एक अभ्यर्थी को मिले मत	निम्नलिखित का अंतरण परिणाम	निम्नलिखित का अंतरण परिणाम	निम्नलिखित का अंतरण परिणाम	
अनन्तरणीय कागज-पत्र भिन्नों के कारण	**निर्विरोध निर्वाचन**				
हुई हानि					
जोड़					

मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री राज बब्बर, मकान नं0 94 एलोरा एन्कलेव, दयाल बाग, थाना न्यू आगरा, जिला आगरा, उ0 प्र0 [जो इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस द्वारा खड़े किये गये हैं] सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : विधान सभा भवन, देहरादून।
तारीख: 13 मार्च, 2015

हस्ताक्षर ....
रिटर्निंग आफिसर

RETURNING OFFICER
CS ELECTION BY ELECTED MLA'S, UTTARAKHAND

--------------------------- छिद्रण ---------------------------

प्रारूप 6 पर प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

**श्री / श्रीमती / कुमारी .... मीना देव ....

**पता .... 102/304 मोती बाजार देहराडून ....

.... जयजीकोरि

दिनांक..............................

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने
वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

**आवेदक द्वारा भरा जाए

(पता)..

....